आखिरी जांच: 23 अक्टूबर 2026 · Labour and Employment, Goa (Goa Building and Other Construction Workers' Welfare Board)

Financial Assistance for Marriage (Goa Building and Other Construction Workers' Welfare Board)

तीन साल की लगातार सदस्यता वाले गोवा के भवन निर्माण श्रमिक अपने बच्चों के विवाह के लिए, और महिला सदस्य अपने विवाह के लिए सहायता पा सकती हैं।

क्या मिल सकता है

बोर्ड सदस्य के बच्चे के विवाह के लिए एक बार की रकम देता है। महिला सदस्य अपने विवाह के लिए भी यह पा सकती है। यह सहायता केवल दो बच्चों के विवाह के लिए दी जा सकती है। रकम नीचे पुराने नियमों में दी गई है।

किसके लिए है

गोवा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण कोष के सदस्य भवन श्रमिक, बच्चों के विवाह के लिए, और महिला सदस्य अपने विवाह के लिए।

मुख्य शर्तें

- श्रमिक की सदस्यता तीन साल लगातार चली होनी चाहिए।
- सहायता लाभार्थी के केवल दो बच्चों के विवाह के लिए दी जा सकती है।
- महिला सदस्य अपने विवाह के लिए भी दावा कर सकती है।

दस्तावेज़

- विवाह प्रमाणपत्र, जिसमें उसका नंबर, तारीख और जारी करने वाला अधिकारी हो
- बोर्ड द्वारा बताए अन्य दस्तावेज

आवेदन कैसे करें

1. बोर्ड से फॉर्म नंबर XLIV (विवाह सहायता का आवेदन) लें।
2. अपनी सदस्यता और विवाह का ब्योरा भरें।
3. फॉर्म को विवाह प्रमाणपत्र और बोर्ड के बताए अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://labour.goa.gov.in/wp-content/uploads/2020/07/Scheme-9-Financial-Assistance-For-Marriage-Pension-Benefit.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/goa/goa-bocw-marriage-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।